विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L00-15/17</u>

मेसर्स गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स, — आवेदक
द्वारा— श्री रामकृष्ण भागीरथ शर्मा,
6/1, साउथ तुकोगंज,
जिला— इंदौर—452001 (म.प्र.)

विरूद्ध

मुख्य सतर्कता अधिकारी, — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
इंदौर (म.प्र.)

आदेश
(दिनांक 24.07.2017 को पारित)

01 मेसर्स गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स, इंदौर द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के प्रकरण क्रमांक W0368017 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2017 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक 02.06.2017 प्रस्तुत किया गया है।

02 विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अपील अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00—15/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 प्रकरण में दिनांक 21.06.2017 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक के सलाहकार श्री जे.जी. थोम्बरे एवं श्री एम.डी. गोयल उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री एन.एस. मण्डलोई, अधीक्षण अभियंता उपस्थित हुए।

04 सुनवाई के प्रारंभ में आवेदक की अपील के विरूद्ध अनावेदक द्वारा लिखित प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया तथा आपत्ति ली गई कि चूंकि आवेदक के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत प्रकरण बनाया गया है अतः मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 4.10 के अनुसार विद्युत लोकपाल को प्रकरण पर निर्णय देने तथा सुनवाई करने का अधिकारक्षेत्र नहीं है।

05 आवेदक द्वारा उपरोक्त तर्क के संबंध में अवगत कराया गया कि उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत बनाये गये प्रकरण पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु उक्त प्रकरण में निकाली गई रिकवरी की वसूली 3 वर्ष के पश्चात करने को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत चुनौती दी है। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा भी उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही न करते हुए प्रकरण इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये प्रकरण को उन्हें सुनने का अधिकार नहीं है।

06 आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा उपभोक्ता फोरम के सम्मुख जो शिकायत प्रस्तुत की गई थी उसमें उन्होंने वसूली की जानी वाली राशि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अनुसार कालवाधित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य बताया तथा विद्युत लोकपाल के समक्ष चुनौती देते हुए अपील प्रस्तुत की गई। अतः अनावेदक की आपत्ति को खारिज करते हुए सुनवाई प्रारंभ की गई।

आवेदक द्वारा अपने पक्ष में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये –

अ आवेदक के परिसर में दो विद्युत कनेक्शन स्थापित हैं जिसमें एक गैर घरेलू श्रेणी का है जिसका कि स्वीकृत भार 3.7 किलोवाट है तथा दूसरा कनेक्शन औद्योगिक श्रेणी का है जिसका कि स्वीकृत भार 15 किलोवाट है।(ओई–1)

ब दिनांक 27.8.2013 को सतर्कता दल द्वारा उनके परिसर का निरीक्षण करने पर उन्हें गैर घरेलू श्रेणी के कनेक्शन का स्वीकृत भार 3.7 के विरूद्ध 15.87 किलोवाट लोड मिला तथा औद्योगिक श्रेणी के कनेक्शन का स्वीकृत भार 15 किलोवाट के विरूद्ध 8.05 किलावाट लोड मिला, जो कि स्वीकृत भारसे कम है।

स अनावेदक द्वारा भार अधिक पाये जाने पर रूपये 52002/– राशि निर्धारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.12.2013 को जारी किया गया। (ओई–2)

द अनावेदक द्वारा भार अधिक पाये जाने पर अधिक पाये गये भार को नियमित करने हेतु एक अन्य डिमाण्ड नोट दिनांक 30.12.2013 को जारी किया गया जिसमें कि 18900/– रूपये जमा किये जाने का उल्लेख था। (ओई–3)

07 आवेदक द्वारा दिनांक 31.1.2014 को उक्त निर्धारण आदेश के संदर्भ में पंचनामा एवं परिसर में पाये गये अतिरिक्त भार के विवरण अनावेदक से चाहा गया। (ओई–4)

08 आवेदक के परिसर में अधिक भार पाये जाने का विवरण प्राप्त होने की दिनांक 22.1.2014 को परिसर का पुनः निरीक्षण करने का अनुरोध किया गया, क्योंकि सतर्कता दल द्वारा परिसर में पाये गये उपकरण का भार वास्तविक भार से अधिक पंचनामा में दर्शाया गया था। परन्तु अनावेदक द्वारा पुनः भार सत्यापन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

09 आवेदक द्वारा अपनी अपील में बताया गया कि निर्धारण आदेश जारी होने के 3 वर्ष के पश्चात् उनसे वसूली की कार्यवाही की जा रही है । जबकि निर्धारण आदेश जारी करने के दिनांक 30.12.2013 के पश्चात उन्हें उक्त राशि जमा करने हेतु न तो कोई नोटिस प्राप्त हुआ और ना ही उक्त राशि को उनके नियमित मासिक देयकों में जोड़ी गई, जिससे कि उन्हें राशि जमा करने हेतु जानकारी प्राप्त होती। अतः विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अंतर्गत वसूली कालवाधित हो चुकी है। फिर भी अनावेदक द्वारा वसूली की कार्यवाही एवं विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने की कार्यवाही की जा रही है जो न्यायोचित नहीं है।

10 अनावेदक द्वारा अपने लिखित प्रतिउत्तर में आवेदक द्वारा उठाई गई आपत्ति के विरूद्ध कोई भी तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया। सिर्फ इसके कि प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा

126 के तहत बनाया गया है इसलिए विद्युत लोकपाल को प्रकरण में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

11 अनावेदक द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत वसूल की जाने वाली राशि को कालवाधित नहीं होने के संबंध में कोई भी तर्क एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि बकाया राशि की वसूली के लिए उनके द्वारा समय–समय पर कोई कार्यवाही की गई है, अतः नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से अनावेदक को बकाया राशि की वसूली करने के संबंध में अगर कोई कार्यवाही की गई हो तो उसके दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया।

12 दिनांक 3.7.2017 को सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा आवेदक से वसूल की जाने वाली राशि के संबंध में जारी किये गये नोटिस की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें कि अनावेदक द्वारा आवेदक को दिनांक 9.6.2014 एवं दिनांक 2.7.2015 को राशि जमा कराने हेतु नोटिस दिया जाना बताया गया। (ओई–5 एवं ओई–6)

13 उपरोक्त दस्तावेजों पर आवेदक द्वारा आपत्ति ली गई कि ये दस्तावेज बाद में चालाकी (manipulate) करके बनाये गये है जिसकी जांच कराई जाये। इस पर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत नोटिस के संबंध में कार्यालय के डिस्पेच रजिस्टर सुनवाई की अगली तारीख को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

14 दिनांक 20.7.2017 को अनावेदक द्वारा वर्ष 2015 का डिस्पेच रजिस्टर प्रस्तुत किया गया जिसमें कि सीरियल नं. 158 दिनांक 2.7.2015 पर आवेदक को जारी नोटिस अंकित किया जाना पाया गया परन्तु अनावेदक वर्ष 2014 का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तोवज डिस्पेच रजिस्टर के अवलोकन करने पर आवेदक को दिये गये नोटिस की प्रविष्ठी बाद में दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

15 उभय पक्षों द्वारा किये गये तर्क एवं लिखित वहस सुनने के पश्चात एवं प्रकरण में कोई निर्णय लेने के पूर्व विद्युत अधिनियम 2003 में दिये गये प्रावधान एवं विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2013 तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में दिये गये प्रावधानों का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार–

ए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 की उपधारा 2 जो निम्नानुसार है –

126 (2) The order of provisional assessment shall be served upon the person in occupation or possession or in charge of the place or premises in such manner as may be prescribed.

उपरोक्त बिन्दु के संबंध में मध्यप्रदेश शासन ने अपनी अधिसूचना क्रमांक 4300–13–2004 दिनांक 22.7.2004 में उल्लेख किया है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अनंतिम निर्धारण आदेश उस व्यक्ति को जो विद्युत का अनाधिकृत उपयोग करने में लिप्त था, निरीक्षण तारीख से 5 दिन के अंदर निर्धारण आदेश तामील किया जाएगा । इसी अधिसूचना में अनंतिम निर्धारण आदेश तामील करने का प्रारूप भी निर्धारित किया गया है। अनंतिम निर्धारण आदेश प्राप्त

होने के पश्चात 7 दिन के भीतर उस व्यक्ति को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का प्रावधान है एवं अनंतिम आदेश के विरूद्ध आपत्ति लिये जाने पर आपत्ति का निराकरण उस व्यक्ति को सुनवाई के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक द्वारा 30 दिन के अंदर प्रकरण का निराकरण करना है। (ओई–8)

बी मध्यप्रदेश शासन द्वारा नोटिस, आदेश तथा दस्तावेज के तामील करने के नियम की अधिसूचना क्रमांक 2312–तेरह–2006 दिनांक 7.4.2006 जारी की है जिसमें नोटिस, आदेश एवं दस्तावेज को कूरियर या रजिस्टर्ड पत्र पावती सहित से भेजा जाना है। संबंधित व्यक्ति द्वारा तामीली न लेने पर दो व्यक्तियों के गवाहों में नोटिस परिसर के सहजदृश्य भाग में दो साक्षियों की उपस्थिति में चश्पा करना है तथा संबंधित व्यक्ति के रहने या कारोबार के ज्ञात स्थान के क्षेत्र में परिचलन वाले समाचार पत्र में नोटिस, आदेश तथा दस्तावेज का प्रकाशन किया जाना है। (ओई–9)

सी मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 3.3 के अनुसार विद्युत लोकपाल को विद्युत अधिनियम 2003 के भाग 10, 11, 12, 14 एवं 15 के अनुसार सुनवाई का अधिकार नहीं है जबकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) भाग 6 के अंतर्गत है जिस पर सुनवाई करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

डी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के प्रावधान निम्नानुसार हैं –

56(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity:

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विद्युत बिल अथवा कोई अन्य राशि जो कि व्यक्ति से ली जानी है दो साल की अवधि के पश्चात वसूल की जाने योग्य नहीं होगी। जब तक की उसे बकाया चार्ज के रूप में वसूली योग्य राशि निरंतर न दर्शायी गई हो।

ई मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.33 जो निम्नानुसार है का अवलोकन किया गया –

8.33 अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की मांग को छोड़कर, अंकेक्षण (audit) अथवा सतर्कता (vigilance) संबंधी वसूली तथा अन्य बकाया राशि की वसूली के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक देयक मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे जिसके अन्तर्गत ऐसे देयकों के साथ देयक तैयार करने के आधार का विवरण तथा देयक की अवधि इत्यादि लिखित में प्रदान की जाएगी। उपरोक्त देयकों का भुगतान निर्दिष्ट की गई अवधि (जो 15 पूर्ण दिवस से कम न होगी) की बकाया राशि को उपभोक्ता के आगामी देयकों में निरन्तर जोड़ा जाएगा जब तक उपभोक्ता द्वारा देयक का भुगतान नहीं कर दिया जाता है या अन्यथा उसका समायोजन नहीं कर दिया जाता।

उपरोक्त प्रावधान में भी यह स्पष्ट है कि अंकेक्षण एवं सतर्कता संबंधी वसूली तथा अन्य व्यय किसी की वसूली के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक देयक जारी किया जाएगें जिसमें कि देयकों के साथ देयक तैयार करने का आधार का विवरण, देयक की अवधि के बारे में सूचना प्रदान की जाएगी। उपरोक्त देयकों के भुगतान हेतु कम से कम 15 दिन की अवधि देनी होगी तथा उसके बाद भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ता के आगामी देयक में राशि निरंतर जोड़ी जाएगी जबकि कि उपभोक्ता द्वारा भुगतान नहीं कर दिया जाता या उसका समायोजन नहीं कर दिया जाता।

अतः उपरोक्त तर्कों एवं अधिनियम, विनियम एवं विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के आधार पर निम्न तथ्य सम्मुख आते हैं –

16 उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्क एवं विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत है अतः विद्युत लोकपाल इस प्रकरण में सुनवाई करने हेतु सक्षम है।

17 अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर का निरीक्षण दिनांक 27.8.2013 को किया गया जिसके अनुसार प्रावधिक बिल (provisional Bill) आवेदक को मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार 5 दिन के अंदर दिया जाना चाहिए था जो कि अनावेदक द्वारा नही दिया गया। जिससे कि आवेदक को अपनी आपत्ति 7 दिन के अंदर प्रस्तुत करने का मौका प्राप्त नहीं हुआ। अनावेदक द्वारा निर्धारण आदेश आवेदक को दिनांक 30.12.2013 को दिया गया। अर्थात् निरीक्षण के पश्चात 4 माह बाद उन्हें निर्धारण आदेश जारी किया गया। इस प्रकार अनावेदक द्वारा दिये गये प्रावधानों एवं नियमों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

18 आवेदक द्वारा परिसर में निरीक्षण के समय पाये गये भार का विवरण प्राप्त होने पर दिनांक 24.2.2014 को अधिक भार पाये जाने पर अपनी आपत्ति लेते हुए पुनः परिसर का परीक्षण करना हेतु अनुरोध किया जिस पर अनावेदक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जबकि निर्धारण आदेश जारी होने के पश्चात आवेदक द्वारा ली गई आपत्ति का निराकरण किया जाना आवश्यक था।

19 अनावेदक द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा नोटिस, आदेश तथा दस्तावेज के तामील करने के नियम की अधिसूचना क्रमांक 2312–तेरह–2006 दिनांक 7.4.2006 जारी की है जिसमें नोटिस, आदेश एवं दस्तावेज को कूरियर या रजिस्टर्ड पत्र पावती सहित से भेजा जाना था, जो कि उनके द्वारा नहीं प्रेषित किया गया। यदि अनावेदक द्वारा भेजे गये नोटिस (ओई–5, ओई–6) को सत्य मान लिया जाए, तब भी नोटिस की अवधि नोटिस की अवधि समाप्त होने के पश्चात विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.33 के अनुसार सतर्कता दल द्वारा निकाली गई रिकवरी को आवेदक के मासिक बिल में जोड़ देना चाहिए था जिससे कि आवेदक को यह ज्ञात हो जाता कि उनके द्वारा उक्त राशि का भुगतान किया जाना है।

20 अनावेदक द्वारा दिनांक 9.3.2017 को उनके अधीनस्थ लाईनमैन के द्वारा बकाया राशि रूपये 52002/– जमा कराने हेतु सूचना भेजी गई ।(ओई–7)

21 अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा सतर्कता दल द्वारा निकाली गई रिकवरी की वसूली हेतु जिसके बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी थी, परन्तु उनके द्वारा दिनांक 9.3.2017 तक वसूल करने के लिए नियमों के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि–

22 अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर के निरीक्षण के उपरांत निर्धारण आदेश देने की प्रक्रिया दिये गये प्रावधानों के तहत नहीं अपनाई गई।

23 आवेदक द्वारा उनके परिसर का निरीक्षण की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए अनावेदक से पुनः उनके परिसर का भौतिम सत्यापन करने का अनुरोध किया गया जिस पर उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः नियमों का उल्लंघन करने के कारण निर्धारण आदेश की राशि रूपये 52002/– निरस्त करने योग्य है।

24 अनावेदक द्वारा सतर्कता दल के निरीक्षण करने के उपरांत निर्धारण आदेश में दी गई राशि रूपये 52002/– को वसूल करने के लिए नियमानुसार नोटिस नहीं भेजा गया तथा जो नोटिस उनके द्वारा भेजे गये, उनकी अवधि समाप्त होने के पश्चात राशि को आवेदक के नियमित मासिक बिल में वसूली हेतु नहीं जोड़ा गया। अनावेदक द्वारा उक्त राशि की वसूल करने हेतु आवेदक का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने के लिए अपने अधीनस्थ लाईनमैनके द्वारा दिनांक 9.3.2017 को नोटिस प्रेषित किया गया। (ओई–7) इस प्रकार अनावेदक द्वारा प्रथम बार राशि वसूल करने हेतु कोई ठोस कार्यवाही की गई। तब तक विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत यह राशि कालवाधित हो चुकी थी, इस कारण उक्त राशि की वसूली निरस्त करने योग्य है।

अतः उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर आदेशित किया जाता है कि –

अ आवेदक के विद्युत कनेक्शन के निरीक्षण करने के पश्चात निर्धारण आदेश देने में विलम्ब, आवेदक के अनुरोध पर परिसर का पुनः भौतिक सत्यापन नहीं करने एवं राशि वसूल करने के लिए बनाये गये नियम एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं करने/एंव विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के प्रावधान अनुसार कालवाधित होने पर निर्धारण आदेश की राशि रूपये 52002/– की वसूली निरस्त की जाए।

ब फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

स उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

25 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल